18/4/2

26/6/25

को पेश हो।

पत्रावली प्रेषित की प्रार्थी का-
पत्र। प्रेषित की बजाय प्रार्थी प्रार्थी का।
~~प्रार्थी~~ बाद पत्र स्वामित्व हो चुका है अतः
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह पाता है
अतः प्रार्थना पत्र बाबत पट्टे स्वामित्व
का तो पत्र फौत होने के कारण
खारिज की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 13:44:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner